कार्यालय परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना बसना जिला महासमुन्द(छ.ग.)

(Email – cdpobasna@gmail.com)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित करने की सूचना

क्रमांक / ESTB-101/368/2026-CDPO ICDS BASNA NUTRI SUPP SEC-Part(10) / 2026–27 दिनांक ई–हस्ताक्षर अनुसार

संचालनालय महिला एंव बाल विकास विभाग छ0ग0 इन्द्रावती भवन ब्लाक–01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कंमाक/**IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/** नवा रायपुर दिनॉक 05/1/2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ईभर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना बसना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पदों के भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाऐं (उसी वार्ड की निवासी) ई–भर्तीपोर्टल **URL**-https://aww.e-bharti.in/ में दिनांक **28/10/2026 से 11/11/2026 तक ऑनलाईन** आवेदन कर सकती है। आवेदन की समस्त प्रकियाई–भर्ती पोर्टल के user manual में दर्शित है, जिस का उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है, निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

क्रमांक	सेक्टर का नाम	नगर पंचायत	वार्ड का नाम	पद रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	बसना 02	बसना	बसना वार्ड क्रमांक–09	बसना वार्ड क्रमांक–09	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिये आवश्यक अर्हताऍ आदि :–

01. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।

02. यह पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है ।

03 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद के लिए आयुसीमा 18 से 44 वर्ष की होगी । आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी । गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी । (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी। 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयुसीमा की छूट की पात्रतानहीं होगी।)। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा । अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा ।

04. आवेदिका प्राथमिकता से उसी ग्राम की होगी । जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त है आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिये । आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नालिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

क. उस ग्राम /नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें ।

अथवा

PTO

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।

टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र ही मान्य होगा ।

05. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शासन से मान्यता प्राप्तबोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगी–

आंगनबाड़ीकार्यकर्ता पद हेतु	12वींबोर्डउत्तीर्ण

06. आवेदन के साथ अंकसूची/प्रमाणपत्र सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य है ।

07. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यह शपथपत्र देना होगा कि छः महीने में स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।

08. विधवा एवं परित्यकता महिला को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी किन्तु तत्संबंध में सक्षम आदेश प्रस्तुत करना होगा ।

09. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाणपत्र के लिए 2011 की आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त वचंन सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा तथा परिवार ड्रापसूची की छायाप्रति भी सलंग्न करना अनिवार्य होगा ।

10. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

11. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिकसूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावाआपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

Digitally signed by Ramsingh Miri
Date: 27-10-2026 13:40:00

(रामसिंह मिरी)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बसना, जिला– महासमुन्द(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / **ESTB-101/368/2026-CDPO ICDS BASNA NUTRI SUPP SEC-Part(10)** / 2026–27 दिनांक ई–हस्ताक्षर अनुसार

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, महासमुन्द की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. माननीय सभापति/सदस्यगण, महिला एवं बाल कल्याण समिति बसना की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बसना जिला महासमुन्द(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. संबंधित वार्ड पार्षद को सादर सूचनार्थ।
5. सेक्टर पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास परियोजना, बसना को सूचनार्थ ।
6. कृपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन आमंत्रण की सूचना संबंधी कार्यवाही संपादित करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
बसना, जिला– महासमुन्द (छ.ग.)